

के.के. चौधरी

पी.सी.एस.

कुलसचिव



उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय

आई०ई०टी० परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ-226021

दूरभाष: 0522-2732193

फैक्स: 0522-2732185

पत्रांक: उ.प्र.प्रा.वि./कुस.का./स.वि./2015/1200-4494

College Code - 004

दिनांक 15.05.2015

सेवा में,

DIRECTOR,

RAJA BALWANT SINGH ENGINEERING TECHNICAL CAMPUS, BICHPURI, AGRA

विषय:- शैक्षिक सत्र 2015-16 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation)के सम्बन्ध में।
महोदय,


उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के आधार पर विश्वविद्यालय/उ०प्र० शासन की सम्बद्धता समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रम में शासनादेश के संख्या 1587/सोलह-1-2015-13(5)/2015- दिनांक 15.05.2015 को निर्गत आदेशानुसार उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा० कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नानुसार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता के साथ

S.No.	Branch Name	Ist Shift	IInd Shift
1	COMPUTER SC. & ENGG.	18	0
2	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG.	18	0
3	BIO-TECHNOLOGY	18	0
4	FOOD TECHNOLOGY	18	0
5	ARCHITECTURE TOWN PLANNING	60	0
6	BACHELOR OF PHARMACY	60	0
7	CIVIL ENGG.	60	0
8	COMPUTER SC. & ENGG.	90	0
9	ELECTRICAL ENGG.	60	0
10	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG.	90	0
11	MECHANICAL ENGG.	60	0
12	CHEMICAL ENGG.	60	0
13	BIO-TECHNOLOGY	60	0
14	FOOD TECHNOLOGY	60	0

स्वचित पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2015-16 हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- संस्था द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/उ.प्र.प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं, पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियाँ/मानकों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अन्य गतिविधियों के साथ-साथ संस्था के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जायेगा।
- बी.फार्म./एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानक एवं संबंधित काउंसिल का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित मानक पूर्ण न करने की दशा में एवं अभातशिप, पी.सी.आई., सी.ओ.ए. के द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय के द्वारा संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।


4. संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/3090 प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगी तथा शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वॉन्डित सूचना समय से उपलब्ध करायेगी, अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
6. 3090 प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 में प्रदत्त अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. संस्था से एक गाह के अन्दर रांरथा गें निदेशक/प्राचार्य एवं कार्यरत शिक्षकों की सूची तथा चयन से संबंधित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।
8. संस्था के निदेशक का पद रिक्त होने के तीन माह (कार्यदिवस) के अन्दर अवश्य चयनित कर लिये जाएं, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (अध्याय: 6.15)
9. संस्था में कार्यरत शिक्षक द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्यदिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (अध्याय:6.18)
10. शैक्षिक एवं शिक्षणतर स्टॉफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (अध्याय: 6.25b)
11. तैब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पृष्ठ वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित कराये। (अध्याय:6.13)
12. संस्था की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पृष्ठ वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित कराये। (अध्याय:6.16)
13. संस्था द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पृष्ठ पर अवश्य चरसा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी उपलब्ध कराया जायेगा अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथाचित कार्यवाही किये जाने पर तत्काल निरस्त किया जायेगा।
14. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
15. संस्था में पायी गयी कमियां का प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा औचक निरीक्षण कभी भी किया जा सकता है।
16. संस्था का शैक्षिक स्तर के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और जब आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियां के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
17. जिन संस्थाओं की अक्षांशिकाएं एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जाच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है, तो सम्बन्धित संस्थाओं की सम्बद्धता तदकार्यवाही के अधीन होगी।
18. संस्था द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियां, अनु० जनजातियां) और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 2006/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार ही शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिया जाए अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
19. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्था में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से शुल्क वही लिये जाए जो समग्र संस्था पर फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। अथवा किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकीयत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था को सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को 'Black List' करने की कार्यवाही की जायेगी।
20. AMS (Academic Monitoring System) संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या: 3090/3090/वि०/कुस०का०/2014/4414-21, दिनांक 11.07.2014 का अनुपालन सुनिश्चित करने की बाध्यता होगी।
21. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक एवं परीक्षा संबंधी कार्य लेने शिक्षकों एवं शिक्षणतर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। संस्था का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणतर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगी। कतिपय कारणोंवाश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्था द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय,

 (क. क. चौधरी)
 कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव, महा० कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
- 2- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3- अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- 4- निदेशक, समाज कल्याण, उ.प्र., लखनऊ।
- 5- गार्ड फाइल।


 (क. क. चौधरी)
 कुलसचिव